जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

w w w .jaw abdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/48 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 30 नवम्बर 2023

भवन विनियमों के अनुसार किसी भी रुफ टॉप रेस्टोरेंट के संचालन से पहले स्थानीय निकाय से अनुमति लेना आवश्यक!!

लेकिन बिना जे.डी.ए. की अनुमति के संचालित हो रहा एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर बार होने का दावा करने वाला "ओहाना" कॉकटेल बार और किचन!!

चार साल पहले JDA कई अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट्स को दे चुका है नोटिस!! लेकिन कार्यवाही किसी पर भी नहीं!!!

अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे लंबित है जन हित याचिका!

जे.डी.ए. के जोन 1 मे स्थित भूखंड संख्या 4,इन्द्र पेलेस,जी.टी. सेंट्रल के 5th फ्लोर पर करीब 37000 वर्ग फीट पर सचालित हो रहे अवैध रुफ टॉप रेस्त्रों बार “ओहाना” का मामला!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जे.डी.ए. के नियमों की धज्जियां उड़ाने के अलावा अवैध हुक्का बार चलाकर, पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बना यह रेस्त्रों बार!!

इसी महीने की 19 तारीख को स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही मे मौके से 15 हुक्के किए गए थे जब्त और रेस्टोरेंट मेनेजर को किया था गिरफ्तार!!

पुलिस बार संचालकों मोनू कारनानी,अंकुर खन्ना और सन्नी सिंह की भूमिका की कर रही है जांच!!

रेस्त्रों बार मे राजस्थान मे नहीं मिलने वाली शराब भी जा रही परोसी!! लेकिन आबकारी विभाग इस बात से अंजान!!

क्या है जे.डी.ए. के जोन 1 मे स्थित भूखंड संख्या 4,इन्द्र पेलेस,जी.टी. सेंट्रल के 5th फ्लोर पर करीब 37000 वर्ग फीट पर सचालित हो रहे अवैध रुफ टॉप रेस्त्रों बार “ओहाना” का मामला?

आपको बता दें कि महज 3 महीने पहले ही जे.डी.ए. के जोन 1 मे स्थित भूखंड संख्या 4,इन्द्र पेलेस,जी.टी. सेंट्रल,गौरव टावर के पास,JLN मार्ग, के 5th फ्लोर पर करीब 37000 वर्ग फीट पर संचालित हो रहे रुफ टॉप रेस्त्रों बार “ओहाना” का शुभारंभ किया गया है|इस रेस्त्रों बार के संचालकों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर बार है और इसमे एक नहीं बल्कि कई तरह के बार जैसे Sky Bar,Alfresco Bar,Shorts Room(Tipsy)The Club आदि का संचालन किया जा रहा है|लेकिन यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर बार हो या ना हो,इसके बारे मे तो कुछ कहना मुश्किल है लेकिन यह सच है कि यह जयपुर का सबसे बड़ा अवैध रूप टॉप बार जरूर बन चुका है|क्यूंकि जिस बिल्डिंग पर इस विशालकाय रुफ टॉप रेस्टोरेंट का निर्माण हुआ है वह कई साल पुरानी है और इसके ऊपरी तल/छत पर,जहां पर यह रेस्टोरेंट संचालित है,को jda द्वारा व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमोदित नहीं किया गया है|और ना ही वर्तमान मे jda से इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट के संचालन के लिए किसी प्रकार की अनुमति ली गई है|

India's largest Bar & Kitchen, Ohana Jaipur

Co-founded by Jaipur's visionary hotelier Sunny Singh, Ohana is India's largest rooftop cocktail bar – a 37,000 sq. ft. culinary and nightlife oasis in Jaipur.

Ohana translates to 'family' in Hawaiian, and embodies its spirit of togetherness. This two-level rooftop venue in Malviya Nagar offers five distinct sections: Sky Bar, Alfresco Bar, Shots Room (Tipsy), the Club (indoor nightclub), and a family indoor dining area, outfitting to numerous moods and occasions.

On the menu is a diverse culinary offering featuring pan-Asian, continental, Indian, Mexican, and Italian delights, prepared by celebrated Chef Kshama Prabhu and her talented team of chefs. They use locally and internationally sourced, high-quality ingredients, promising a tantalising culinary journey. The cocktail culture at Ohana is exceptional, with skilled mixologists crafting a wide range of handcrafted cocktails, from classics to signature creations.

Located at GT Central Mall, Ohana guarantees unforgettable evenings filled with entertainment, delectable cuisine, and an atmosphere of joyous celebration. It's a haven for creating precious memories immersed in the spirit of togetherness.

Must try: Patrani Paneer; Spicy Corn Ribs; Pav Bhaji Fondue; Vietnamese Pancake; Smoked Wild Mushroom Galouti; Tandoori Wasabi Prawns; Ohana Chicken Wings; Mangalorean Mutton Sukka; Kheema Golgappa; Chapli Kebab.

भवन विनियमों के अनुसार किसी भी रुफ टॉप रेस्टोरेंट के संचालन से पहले स्थानीय निकाय से अनुमति लेना आवश्यक!

शहर के कई रुफ टॉप रेस्टोरेंटों मे लग चुकी आग से हुए जानोमाल के नुकसान से सबक लेने के बाद नगरीय विकास विभाग द्वारा "Rajasthan Byelaws for obtaining NOC for Rooftop Restaurant-2019" नाम से बायलाज जारी किए जा चुके है|इन बायलाज के अनुसार किसी भी रुफ टॉप रेस्टोरेंट के संचालन से पूर्व स्थानीय निकाय से अनुमति लेनी आवश्यक है|इन बायलॉज के अनुसार किसी बिल्डिंग की छत के अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्से को ही रेस्टोरेंट के रूप मे कवर किया जा सकता है|इस 25%हिस्से का निर्माण भी अस्थायी एवं अग्निरोधक मेटेरियल से ही करना आवश्यक है|बायलाज के अनुसार लकड़ी,कपड़े,POP और अन्य ज्वलनशील मेटेरियल का निर्माण मे उपयोग नहीं किया जा सकता है|इसी के साथ रुफ टॉप मे आने वाले आगंतुकों के लिए प्रति 1 ECU/4 सीट के हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था एवं रुफटॉप की दीवारो/रेलिंग की ऊंचाई 1.5 मीटर करनी होगी|रुफ टॉप संचालक को संबंधित अग्निशमन विभाग से संबंधित रुफटॉप की पृथक से NOC प्राप्त करनी होगी|रुफटॉप के ऊपर पानी का ओवेरहेड टेंक पृथक से बनाना होगा|रुफ टॉप की छत पर किसी भी प्रकार से एलपीजी, कोयले,हुक्के,पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता|ग्राहकों को सर्व किए जाने वाले खाने को बनाने की अनयंत्र व्यवस्था करनी होगी|छत पर ध्वनिप्रसारक यंत्रों/तेज आवाज मे बजने वाले DJ के उपयोग की पाबंदी होगी|बायलाज के अनुसार स्वीकृत रुफ टॉप रेस्टोरेंटों का संबंधित निकाय द्वारा गठित कमिटी द्वारा साल मे एक बार निरीक्षण किया जाएगा|इन बायलाज की शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित स्थानीय निकाय उक्त रुफ टॉप रेस्टोरेंट के विरुद्ध संबंधित कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी|

लेकिन बिना जे.डी.ए. की अनुमति के संचालित हो रहा एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर बार होने का दावा करने वाला "ओहाना" कॉकटेल बार और किचन!!

लेकिन ओहाना रुफ टॉप रेस्त्रों बार के संचालको द्वारा ना तो JDA से रुफ टॉप संचालन की अनुमति ली गई है और ना ही नगर विकास विभाग द्वारा बनाए गए बायलॉज का कहीं पालन किया जा रहा है|बायलाज के विपरीत छत पर बनी दो मंजिलों पर,छत के 25% हिस्से से अधिक हिस्से पर बनाए गए निर्माण मे इस रुफ-टॉप रेस्त्रों बार का संचालन किया जा रहा है|करीब 37000 वर्ग फीट मे बने इस रेस्त्रों बार के लिए नियमानुसार 50 अतिरिक्त कारों की पार्किंग की आवश्यकता है लेकिन इस रुफ टॉप के लिए इस अतिरिक्त पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं किया गया है|जिसके चलते गौरव टावर जैसे अति व्यस्ततम क्षेत्र मे रात के समय पार्किंग की विकट समस्या खड़ी हो जाती है|इस रुफटॉप मे नियमानुसार ओवरहेड टेंक की कोई व्यवस्था नहीं,जिससे आग लगने पर आग बुझाने की कार्यवाही बाधित हो सकती है|

इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट के इसी तल पर नियम विरुद्ध किचन का संचालन किया जा रहा है|जिसमे अनगिनत एलपीजी सिलेंडर रखे जाते है,जिसके चलते कभी भी भीषण हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता|

जे.डी.ए. के नियमों की धज्जियां उड़ाने के अलावा अवैध हुक्का बार चलाकर,पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बना यह रेस्त्रों बार!!इसी महीने की 19 तारीख को स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही मे मौके से 15 हुक्के किए गए थे जब्त और रेस्टोरेंट मेनेजर को किया था गिरफ्तार!!पुलिस बार संचालकों मोनू कारनानी,अंकुर खन्ना और सन्नी सिंह की भूमिका की कर रही है जांच!!

आपको बता दें कि नियमों के विपरीत इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट मे खुलेआम होता है हुक्के का प्रयोग किया जा रहा है, गौरतलब है कि इसी महीने की 19 तारीख को स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही मे मौके से 15 हुक्के जब्त किए गए थे और रेस्टोरेंट मेनेजर को गिरफ्तार किया था|इस मामले मे स्थानीय पुलिस बार संचालकों मोनू कारनानी,अंकुर खन्ना और सन्नी सिंह की भूमिका की भी जांच कर रही है|

इतना ही नहीं अवैध रूप टॉप Restro-bar “ओहाना” मे रात भर तेज आवाज मे बजने वाला DJ, आस-पास की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों के रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है|लेकिन लगता है इससे बार संचालकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है|

हुक्का बार का मैनेजर गिरफ्तार

जयपुर @ पत्रिका. जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने जीटी सेंट्रल मॉल में एक बार में कार्रवाई कर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 15 हुक्के मय चिलम पाइप और कई कंपनियों के तम्बाकू फ्लेवर जब्त किए हैं। डीसीपी (पूर्व) ज्ञानचंद यादव ने बताया कि ओहाना कॉकटेल बार किचन में ग्राहकों को हुक्का पिला रहे मैनेजर मुस्तफिजुर्रहमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस बार मालिक मोनू कारनानी, अंकुर खान और सन्नी सिंह की भूमिका के बारे में तफ्तीश कर रही है।

ओहना कॉकटेल बार में हुक्का-तंबाकू पकड़ी

जयपुर | जवाहर सर्किल थाना इलाके में जीटी सेंट्रल मॉल की पांचवीं मंजिल स्थित ओहना कॉकटेल बार में हुक्का बार पकड़ा है। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने बार के मैनेजर से 15 हुक्के, पाइप व भारी मात्रा में अलग-अलग कंपनियों के तम्बाकू फ्लेवरर्स जब्त किए हैं।

डीसीपी ईस्ट ज्ञानचन्द यादव ने बताया कि बार के मैनेजर मुस्तफिजुर्रहमान निवासी कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल सिद्धार्थ नगर गैटोर रोड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने मैनेजर मुस्तफिजुर्रहमान से पूछताछ की तब पता चला कि मोनू करनानी, अंकुर खान व सन्नी सिह उर्फ परमेन्द्र मिलकर बार चला रहे हैं। 15 हुक्के पर बार का मार्का लगे हुए हैं। तम्बाकू फ्लेवरर्स के 14 खाली डिब्बे, 30 हुक्को के आगे लगी डिस्पोजल नलियों, 20 प्लास्टिक की चिलम, 10 धातु के तीन छेदों वाले ऑपन एण्ड क्लोज कैप जब्त की गई।

रेस्त्रों बार मे राजस्थान मे नहीं मिलने वाली शराब भी जा रही परोसी!!लेकिन आबकारी विभाग इस बात से अंजान!!

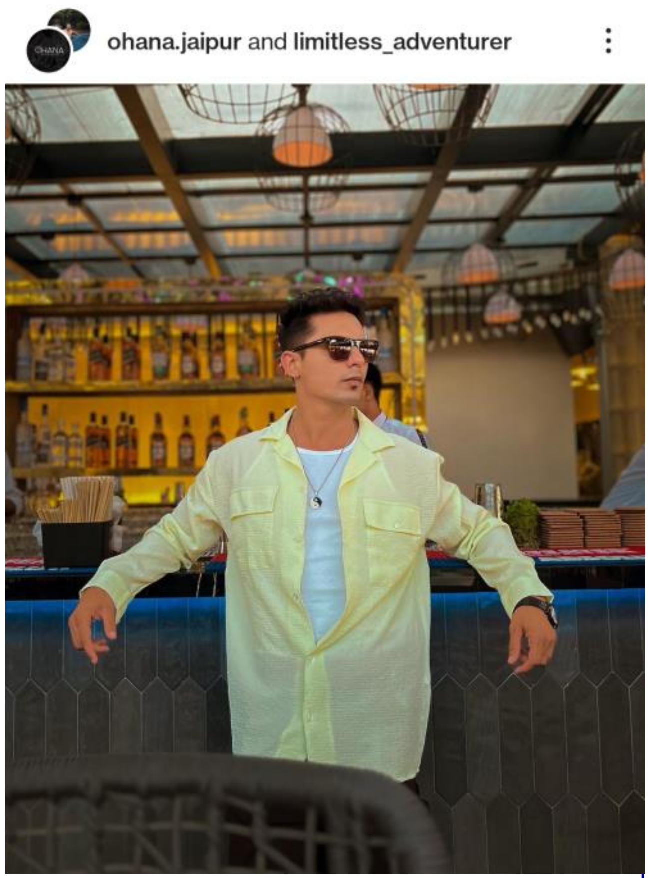

इस मामले मे आबकारी विभाग की भी साफ मिलीभगत सामने आ रही है|क्यूंकि नियमनुसार इस रेस्त्रों बार को केवल बीयर परोसने का लाईसेंस दिया जा सकता है लेकिन इस रेस्त्रों बार मे नियम विरुद्ध ना केवल शराब परोसी जा रही है बल्कि यह शराब कहाँ से आ रही है इसकी भी तहकीकात आबकारी विभाग नहीं कर रहा है|सूत्रों के अनुसार इस रेस्त्रों बार मे वह शराब भी परोसी जा रही है जो RSBCL के पास उपलब्ध ही नहीं है|

चार साल पहले JDA कई अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट्स को दे चुका है नोटिस!!लेकिन कार्यवाही किसी पर भी नहीं!!!अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे लंबित है जन हित याचिका!

गौरतलब है कि चार साल पहले JDA करीब 100 से अधिक अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी कर चुका है लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कार्यवाही आज दिन तक किसी भी अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट के विरुद्ध नहीं हुई है|आपको बता दे कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे कुणाल रावत बनाम राजस्थान सरकार रिट पिटीशन 1481/218 आज भी लंबित है|देखना यह है कि इस मामले मे JDA सहित अन्य जिम्मेदार विभाग कार्यवाही करते है या फिर जागरूक नागरिकों को कोर्ट की शरण मे जाना पड़ेगा|

Illegally Operated Rooftop Restaurants Sealed In Jaipur By The Jaipur Municipal Corporation

News

November 15, 2019 Ayushi

...ssioner Vijay Pal Singh, the Zone's team sealed 7 restaurants, ...Blackout Bar and restaurant, Lol Cafe, Retreat Lounge, Handi, Playboy, and Social

रूफटॉप रेस्त्रां : सीलिंग के डर से नींद नहीं आ रही, गोली लेकर सोना पड़ रहा

4 वर्ष पहले

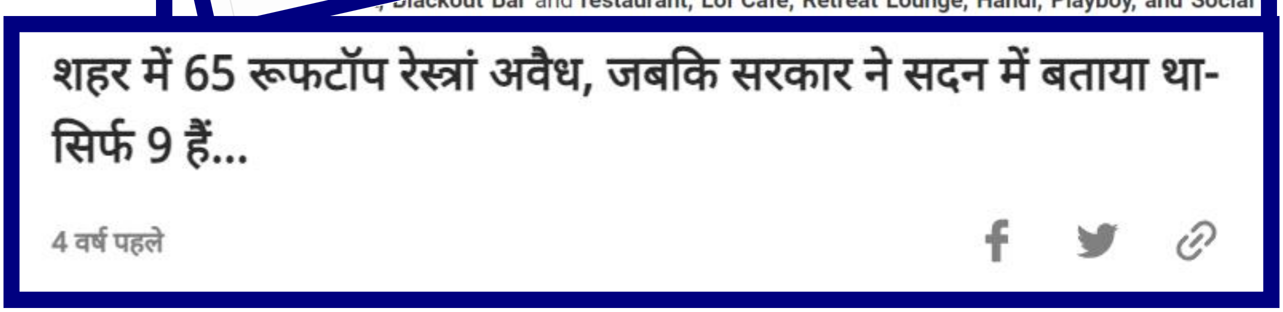
शहर में 65 रूफटॉप रेस्त्रां अवैध, जबकि सरकार ने सदन में बताया था- सिर्फ 9 हैं...

4 वर्ष पहले

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या ओहाना के संचालकों द्वारा JDA से इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति हासिल कर रखी है?
2. क्या ओहाना के संचालकों द्वारा नगर विकास विभाग द्वारा बनाए गए बायलॉज के अनुसार इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है?
3. क्या ओहाना के संचालकों द्वारा रेस्टोरेंट मे आने वाले आगंतुकों के वाहनों के पार्किंग की कहाँ पर व्यवस्था की गई है?
4. क्या रेस्टोरेंट मे आगजनी होने पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम है?
5. क्या ओहाना के संचालकों द्वारा अग्निशमन विभाग से इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट के संचालन के लिए पृथक से एनओसी हासिल की गई है?
6. आखिर कैसे रेस्त्रों बार होने के बावजूद ओहाना मे ग्राहकों को शराब परोसी जा रही है?

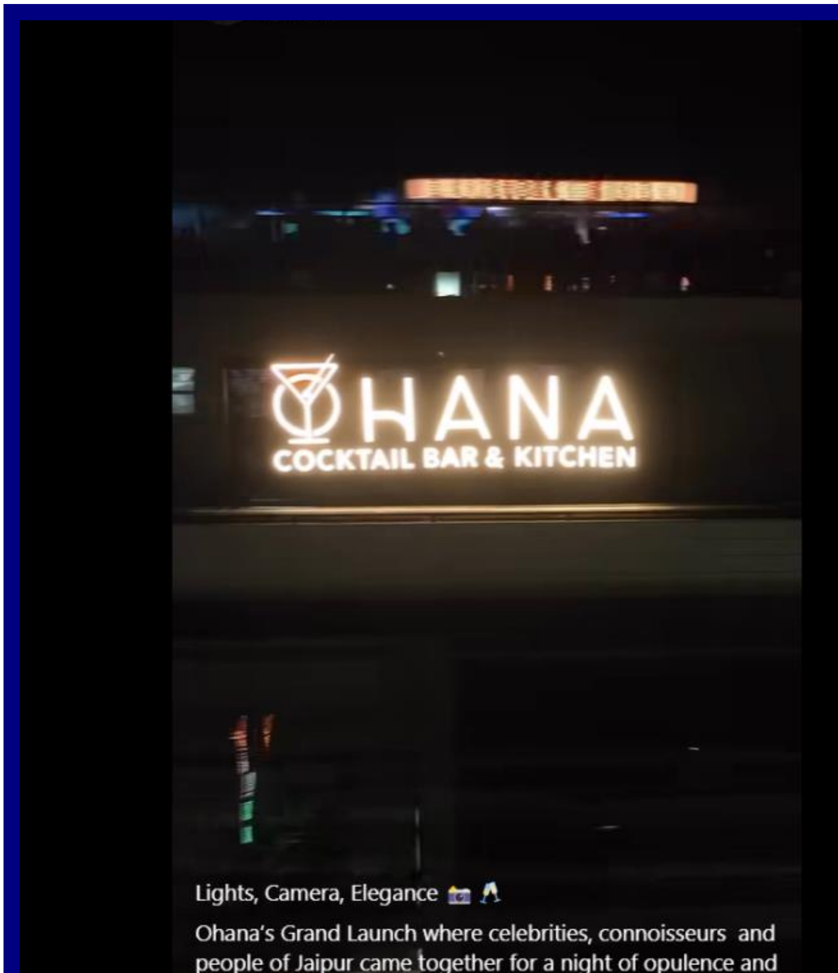

7. ओहाना के संचालकों द्वारा शराब कहाँ से मंगाई जाती है?कहीं ओहाना के संचालकों के तार शराब तस्करों से तो नहीं जुड़े हुए है?
8. स्थानीय पुलिस द्वारा ओहाना मे हुक्का बरामद करने के मामले मे क्या प्रगति हुई है?
9. क्या यह संभव है कि बार मैनेजर द्वारा बिना अपने मालिकों की स्वीकृति के हुक्का बार का संचालन किया जा रहा हो?
10. क्या इस मामलें ए स्थानीय पुलिस द्वारा बार संचालकों मोनू कारनानी,अंकुर खन्ना और सन्नी सिंह के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है?
11. क्या यह मामला उजागर होने के बाद JDA के जिम्मेदार अधिकारी भवन विनियमों के तहत इस अवैध रुफ टॉप रेस्टोरेंट के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?
12. क्या यह मामला उजागर होने के बाद आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस रेस्त्रों बार की आड़ मे हो रहे शराब के अवैध कारोबार की जांच करेंगे?
13. क्या यह मामला उजागर होने के बाद पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस रेस्टोरेंट के संचालकों को जांच के दायरे मे लाएंगे?